पत्र संख्या : 7ब/2701–गैरयोजना–ज०सं० 01/2014.........262

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

अवर सचिव – सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ,जल संसाधन विभाग , रॉंची ।

रॉंची, दिनांक 18-03-15

विषय :– वित्तीय वर्ष 2014–15 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2701– मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–01–मुख्यालय सचिवालय स्थापना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2701–मध्यम सिंचाई	80 सामान्य /001–निदेशन तथा प्रशासन	01–मुख्यालय सचिवालय स्थापना	**26.66**

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – रुपये छब्बीस लाख छियासठ हजार मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 के संशोधित बजट उपबंध तथा वित विभाग के पत्रांक 213 /बजट, दिनांक 09.03.15 द्वारा तृतीय अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त राशी यथा कुल राशी रूपये 288.50 (दो करोड़ अठासी लाख पचास हजार) के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(श्वेता कुमारी)
सहा॰ अभि॰

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2014–15 से सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निकासी वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।

10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

12. 15.11.2000 के बाद के बकाया के भुगतान मद में आबंटित राशि में से यदि राशि शेष रह गई हो तो अवशेष राशि से अन्य कर्मचारियों के बकाये का भुगतान किया जा सकेगा।

13. **देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।**

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 22 मार्च 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 17/3
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 262 रॉची, दिनांक :– 18-3-15

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 17/3
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 1262 रॉची, दिनांक :– 18-3-15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/ मुख्य. अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज॰सं॰वि॰/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(श्वेता कुमारी) सहा॰ अभि॰	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	Sukhdev 17/3 (सुखदेव सिंह) प्रधन सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट I

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य

पत्रांक 262 दिनांक 18-3-15 का अनुलग्नक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष–01–मुख्यालय सचिवालय स्थापना

(आवंटित राशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2014–2015		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	(आवंटित राशि लाख रूपये में)	
	कार्यालय का नाम		वेतन	एल० टी० सी०	15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	मशीनरी एवं उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड →	49N270180001010101	49N270180001010112	49N270180001010183	49N270180001010213	49N270180001010315	49N270180001010317	49N270180001010323	49N270180001010333	49N270180001010442	49N270180001010760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अवर सचिव – सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, रॉंची ।	पूर्व का आवंटन	196.000	0.500	15.570	4.500	5.000	0.500	1.500	1.500	4.500	2.000	231.570	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	26.660	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.660	#
		कुल आवंटन	196.000	0.500	42.230	4.500	5.000	0.500	1.500	1.500	4.500	2.000	258.230	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		0.000	0.000	26.660	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.660	

15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन मद में अतिरिक्त आवंटन श्री अनिल कुमार सिन्हा, सेवा निवृत संयुक्त सचिव (अभि०), के बकाया राशि के भुगतान हेतु ।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रु० छब्बीस लाख छियासठ हजार मात्र

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव